न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या :- 08/2020
राजस्व अपील :- अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम

1. भागीरथ पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर

-अपीलार्थी

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी मण्डेर तहसील बाप जिला जोधपुर
2. ग्राम पंचायत कानसिंह की सिड जरिये सरपंच पंचायत समिति बाप

-प्रत्यर्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक :- 31.01.2023

अपीलार्थी ने राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की इस आशय से पेश किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 220/12 रकबा 30.12 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व में अपीलार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी उक्त विवादित भूमि में से रकबा 1.00 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनेश कुमार को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से दिनांक 30.08.2017 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छाया प्रति पटवारी हल्का को अपने नाम से नामान्तरण भरने हेतु प्रदान कर दी थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर भरते समय हल्का पटवारी ने सरासर गलत तरीके से पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाक[illegible] 220/12 रकबा 30.12 बीघा में अपीलार्थी के 582/602 हिस्सा तथा [illegible] 1 के 20/602 हिस्सा के स्थान पर अपीलार्थी संख्या 502/[illegible] 100/602 हिस्सा दर्ज कर नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 2 से स्वीकृत करवा [illegible]। प्रत्यर्थी ने हल्का पटवारी कानसिंह की सिड व भू-अभिलेख निरीक्षक बाप द्वारा नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर सरासर गलत तरीके से भर कर स्वीकृत करवा लिया है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-बाप

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर के विरूद्ध एक अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है कि पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर भरे गये नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर को ग्राम पंचायत के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर विधि विरूद्ध तरीके से बिना सरसरी जांच किये स्वीकृत किया गया। नामान्तरण संख्या 85 ग्राम करणीनगर स्वीकृत करते समय अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही स्वीकृत किया गया होने से अपीलाधीन नामान्तरण की अपीलार्थी को जानकारी नहीं हुई। अपीलार्थी उपरोक्त खसरान में अपने नाम की जमाबंदी की हल्का पटवारी से मांग करने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी का हिस्सा जमाबंदी रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने तथा प्रत्यर्थी के पक्ष में भरा गया नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर ग्राम पंचायत द्वारा सरासर गलत तरीके से बिना जांच किये ही स्वीकृत किये जाने की सूचना नहीं देने तथा दिनांक 08.09.2020 को वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबंदी एंव नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने पर उपरोक्त रिकार्ड पढने पर इस अलोच्य नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर की प्रथम जानकारी आई। इसलिये यह अपील जानकारी होते ही अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं राजस्व अपील अंतर्गत 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण का [illegible] निम्नानुसार है।

1. अपीलार्थी भागीरथ ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपील [illegible] भू-राजस्व अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 220/12 रकबा 30.02 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व में अपीलार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी उक्त विवादित भूमि में से रकबा 1.00 बीघा भूमि

Signature Not Verifi
Digitally signed by Mang
Date: 2024.02.06 14:57:
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनेश कुमार को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से दिनांक 30.08.2017 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छाया प्रति पटवारी हल्का को अपने नाम से नामान्तरण भरने हेतु प्रदान कर दी थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर भरते समय हल्का पटवारी ने सरासर गलत तरीके से पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 220/12 रकबा 30.02 बीघा में अपीलार्थी के 582/602 हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के 20/602 हिस्सा के स्थान पर अपीलार्थी संख्या 502/602 हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का 100/602 हिस्सा दर्ज कर नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 2 से स्वीकृत करवा लिया।

2\. अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर के विरूद्ध एक अपील न्यायालय हजा में प्रस्तुत की गई है कि पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर भरे गये नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर को ग्राम पंचायत के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर विधि विरूद्ध तरीके से बिना सरसरी जांच किये स्वीकृत किया गया। नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर ग्राम पंचायत द्वारा सरासर गलत तरीके से बिना जांच किये ही स्वीकृत किये जाने की सूचना नहीं देने तथा दिनांक 08.09.2020 को वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबंदी एंव नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने पर उपरोक्त रिकार्ड पढने पर इस अलोच्य नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर की प्रथम जानकारी आई। इसलिये यह अपील जानकारी होते ही अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर भरते समय हल्का पटवारी ने सरासर गलत तरीके से पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर ग्राम करणीनगर के [illegible] नम्बर 220/12 रकबा 30.02 बीघा में अपीलार्थी के 582/6[illegible] 1 के 20/602 हिस्सा के स्थान पर अपीलार्थी संख्या 502/602 हिस्सा [illegible] संख्या 1 का 100/602 हिस्सा दर्ज कर नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 2 से स्वीकृत [illegible] लिया। स्पष्ट अपील गुणहीन नहीं है, ऐसी स्थिति में म्याद के संबंध में उदार दृष्टि रखना विधि की प्राथमिक आवश्यकता है। विधि अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि मेरिट पर प्रकरण है तो विलम्ब माफ कर देना चाहिए।

Signature Not Verif
Digitally signed by Mang
Date: 2024.02.06 14:57
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

3. पत्रावली के संलग्न पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 30.08.2017 की छिप्रति से स्पष्ट है कि अपीलांट भागीरथ पुत्र श्री तुलछराम ने ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 220/12 रकबा 30.02 बीघा में से 1.00 बीघा भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दिनेश कुमार पुत्र जोराराम बिश्नोई को किया था जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 85 स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलाण्ट की कुल 30.02 बीघा भूमि में से 05 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई जो कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुसार न होकर त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरण संख्या 85 त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जाकर तहसीलदार बाप को निर्देश दिया जाना उचित होगा कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरण स्वीकृत करें।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 भली-भाँति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को माफ किया जाता है। ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 220/12 रकबा 30.02 बीघा भूमि में विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरण संख्या 85 मौजा करणीनगर त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जाता है। तहसीलदार बाप को निर्देश दिये जाते है कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरण स्वीकृत करें। पत्रावली इसी अनुसार निर्णित होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:19 IST
Reason: SelfAttested